भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *201
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 / 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना

***201. श्री दिलीप शइकीयाः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय महत्व का संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *201, दिनांक 10.12.2024

"डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना" के संबंध में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर के लिए देय लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *201 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, जांच, अपराध और अपराधियों के अभियोजन और संबंधित फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास हैं।

सरकार ने देश में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) देश में न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय के तहत 7 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) हैं जिनमें डीएनए और साइबर फोरेंसिक सहित 11 वैज्ञानिक विषय शामिल हैं। ये सीएफएसएल भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़, कामरूप (असम), हैदराबाद (तेलंगाना), पुणे (महाराष्ट्र), दिल्ली और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं। भारत सरकार ने सांबा, जम्मू में आठवें सीएफएसएल की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के तहत 860.3 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश में 07 अतिरिक्त सीएफएसएल की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में 32 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और 97 क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं।

(ii) भोपाल, गुवाहाटी और पुणे में तीन नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है और कोलकाता में मौजूदा सीएफएसएल का आधुनिकीकरण किया गया है।

(iii) चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा की स्थापना की गई है ।

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *201, दिनांक 10.12.2024

(iv) डिजिटल धोखाधड़ी/साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 126.84 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश में 06 अतिरिक्त एनसीएफएल को सीएफएसएल चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, कामरूप, भोपाल और पुणे में स्थापित करने की मंजूरी दी है।

(v) फोरेंसिक विज्ञान के नए विषयों जैसे कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, डिजिटल फोरेंसिक, डीएनए फोरेंसिक विशेषण, फोरेंसिक मनोविज्ञान आदि समेत केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन किया गया है।

(vi) राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (राज्य एफएसएल) में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सभी परियोजनाओं (30) हेतु 245.29 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। अब तक 185.28 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(vii) केंद्रीय क्षेत्र की योजना "फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण (एमओएफसी)" के तहत देश के सभी जिलों और राज्य एफएसएल को मोबाइल फोरेंसिक वैन प्रदान करने के लिए 496.66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 400 मोबाइल फोरेंसिक वैन की खरीद के लिए 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(viii) फोरेंसिक विज्ञान में जनशक्ति के क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए डीएनए साक्ष्य के संग्रह, भंडारण और हैंडलिंग तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 32,524 जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट भी वितरित किए हैं।

लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *201, दिनांक 10.12.2024

(ix) फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

- एनएबीएल मानकों (आईएसओ 17025) के अनुसार डीएनए और साइबर डिवीजनों सहित प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के लिए गुणवत्ता मैनुअल।
- जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए यौन उत्पीड़न के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह, संरक्षण और परिवहन के लिए दिशानिर्देश।

(ख): देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना की गई है। गांधीनगर (गुजरात) और दिल्ली में एनएफएसयू के प्रारंभिक परिसरों के अलावा, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम) में एनएफएसयू के 05 अतिरिक्त ऑफ परिसरों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। ये अतिरिक्त परिसर स्थायी परिसरों के निर्माण तक वर्तमान में अस्थाई परिसरों से क्रियान्वित हैं। इसके अलावा, एनएफएसयू ने इम्फाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण/कौशल अकादमियां भी स्थापित की हैं। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.06.2024 को "राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना" को मंजूरी दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-2025 से 2028-2029 तक कुल 1309.13 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ देश में एनएफएसयू के 09 अतिरिक्त परिसरों की स्थापना के लिए घटक शामिल है।

*****